श्रीमती शीला दीक्षित
माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस
4 मार्च, 2008

श्री मंगत राम सिंघल
माननीय श्रम मंत्री, दिल्ली

हम हर वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इस दिवस ने एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का रूप ले लिया है, जिसको कार्यस्थल एवं अन्य औद्योगिक स्थानों पर पूरे वर्ष व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अच्छे पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्धता को दोहराने हेतु मनाया जाता है।

श्रम विभाग, दिल्ली सरकार कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के कानूनों के प्रावधानों को लागू करवाता है, ताकि सुरक्षा से संबंधित कानूनों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस विषय में तीन शाखाओं यानि श्रमिक, प्रबंधक एवं सुरक्षा नियम लागू करने वाले विभागों में सक्रिय सहयोग की जरूरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नियोजन, प्रबंधन समन्वय तथा क्रियान्वयन के विषय में ऐसी संयुक्त नीति अपनाई जानी चाहिए जो कार्यस्थलों पर जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है।

मैं इस अवसर पर दिल्ली के उद्योगों के प्रबंधकों से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कर्मचारियों एवं प्रभारी कर्मचारियों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करके सुरक्षा संबंधी सेमिनार, प्रदर्शनियों, सुरक्षा प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण आदि के कार्यक्रमों का आयोजन करें ताकि कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न हो।

श्रमिक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। इस अवसर पर मैं सुरक्षा कार्यों से जुड़े सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि औद्योगिक दुर्घटना तथा कार्यस्थल के असर से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रयास करें जिससे कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और परिणाम स्वरूप उत्पादकता में बढ़ौत्तरी हो।

आइए, हम इस दिवस पर कार्य–स्थल पर पर्यावरणीय सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधारने हेतु आत्मसमर्पित होने की प्रतिज्ञा करें।

मंगत राम सिंघल
श्रम मंत्री
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

DIP/2306/07-08

शोषण से शिक्षा की ओर

श्रम विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
5, शामनाथ मार्ग दिल्ली–110054

भागीदारी
नागरिक सरकार साझेदारी

निर्माण मजदूरों के हितों की रक्षा - सबल देश का निर्माण